

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.10(26)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक


::प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति::

09 NOV 2022

पिलानी मुख्यालय में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय भवन निर्माण हेतु लेखामद 4059-80-051-03-03-17 वृहद्द निर्माण कार्य में राशि रु. 297.10 लाख (केन्द्रांश राशि रु. 178.26 लाख एवं राज्यांश राशि रु. 118.84 लाख) की स्वीकृति उपलब्ध बजट प्रावधान से दी जाती है:-


उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 102205877 दिनांक 28.10.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय


(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक III/(i)/(bld)/Budget/Plan/Jhunjhunu/23/3062 दिनांक 29.09.2022 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)/(व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. कार्यालय निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव